सील्ड /रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-122/2022/2101/22-2-2022-17(682)/2019
लखनऊ: दिनांक: 14 अगस्त, 2022

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते जिला कारागार, एटा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जय सिंह (बन्दी संख्या-134/2017) पुत्र श्री गोकुल सिंह, निवासी बनेहरा, थाना-बागवाला, जनपद-एटा, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-122/1985 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, नवम् अपर सत्र न्यायाधीश, एटा के आदेश दिनांक 17.02.1986 द्वारा आजीवन कारावास से दंण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 21.07.2017 द्वारा एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 30.01.2018 द्वारा सजा को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 29.12.2021 तक 04 वर्ष, 03 माह, 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 05 वर्ष, 07 माह, 10 दिन की सपरिहार सजा, संतोषजनक जेल आचरण एवं जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा द्वारा की गयी समयपूर्व रिहाई की संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, एटा के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-122/2022/2101(1)/22-2-2022 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, एटा।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, एटा।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in